न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 25/2017 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री प्यारेलाल जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर मीना तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 24.03.2017 प्र.सं0 22/2017 उनवानी लक्ष्मीनारायन बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अशोक सक्सैना उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 13.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 24.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बाडी ने आराजी खसरा नंबर 841 रकवा 02 बीघा 10 विस्वा किस्म चारागाह में से 02 विस्वा भूमि पर पत्थर डालकर एवं खसरा नम्बर 20/1746 रकवा 26 बीघा 13 विस्वा किस्म चारागाह में से 01 विस्वा भूमि पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की गई कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार बाडी मौके पर जाकर पुष्टि करेंगें कि वास्तव में अपीलाण्ट ने कब्जा हटा लिया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिर्पोट के आधार पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट के गॉव वाले जो अपीलाण्ट से रंजिश रखते हैं, द्वारा झूठी शिकायत करके अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी में बने मकान व बगीची को अवैध तरीके से जबरन बल पूर्वक ध्वस्त करवा दिया। इस बाबत् अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री रामकरण मीना की माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार से शिकायते की; जिस पर पत्राचार हुये, उक्त शिकायतो से तहसीलदार बाडी नाराज हो गये और अपीलाण्ट को जेल भेजने की खुले आम धमकी दी और उसी नाराजगी के परिणामस्वरूप एवं धमकी को साकार करते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध मनमाने तरीके से आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने उक्त सभी कार्यवाही एवं शिकायतो की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने अपीलाण्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में हल्का पटवारी खानपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2017 प्रस्तुत करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि चारागाह भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नही है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है। अतः अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एंव शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की आपत्ति का सारांश यह है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी के पीठासीन अधिकारी श्री रामकरण मीणा की अपीलाण्ट से व्यक्तिगत रंजिश है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा, अपीलाधीन आदेश से, अपीलाण्ट द्वारा कब्जा हटाने की पुष्टि बाबत् जॉच हेतु तहसीलदार बाडी को ही निर्देशित करने से अपीलाण्ट व्यथित है। हमने तथ्यों पर गौर किया। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी श्री रामकरण मीणा से व्यक्तिगत रंजिश होना बताते हैं। न्यायालय के इस प्रश्न पर कि; क्या श्री रामकरण मीणा वर्तमान में तहसीलदार बाडी के पद पर कार्यरत हैं, के जबाव में अभिभाषक अपीलाण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं स्वयं अपीलाण्ट ने उनका स्थानान्तरण होना कथन किया। हम पाते हैं कि हस्तगत अपील का आधार, श्री रामकरण मीणा, तहसीलदार बाडी से व्यक्तिगत रंजिश होने बाबत् है। सम्बन्धित अधिकारी का स्थानान्तरण, तहसीलदार बाडी के पद से हो चुका है। लिहाजा अपील प्रभावहीन हो चुकी है।

6. वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा हल्का पटवारी खानपुर की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। उक्त मौका रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा अंकित किया गया है कि '' वर्तमान में विवादित खसरा नम्बरो में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण को हटा लिया गया है तथा मौके पर खाली है व इन खसरा नम्बरो पर प्रार्थी अपीलाण्ट का कोई कब्जा नही है'' अतः हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी को निर्देशित करना चाहेंगें कि पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट को अपनी जॉच में शामिल करें।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट प्रभावहीन में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official